



Neutral Citation No. - 2026:AHC:61996-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 11221 वर्ष 2026

जितेंद्र सिंह बाजवा और अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य

.....प्रतिवाद

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: राघव देव गर्ग, वरिष्ठ अधिवक्ता, यशवी अग्रवाल

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., जगन्नाथ मोर्य, पंकज श्रीवास्तव, शिव प्रकाश गुप्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार

माननीय न्यायमूर्ति विवेक सरन

1. हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री अनुराग खन्ना, वरिष्ठ अधिवक्ता, और उनके साथ श्री राघव देव गर्ग, अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री जे.एन. मोर्य, मेरठ नगर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निगम की ओर से श्री पंकज श्रीवास्तव, प्रतिवादी संख्या 8 के अधिवक्ता श्री शिव प्रकाश गुप्ता, और राज्य प्रतिवादियों के स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनीं।

2. इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता दावा करते हैं कि वे मेसर्स गॉडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मेरठ नामक कंपनी के पूर्व निदेशक हैं। वे तहसीलदार, तहसील सदर, जिला मेरठ द्वारा 09.03.2026 को जारी वसूली नोटिस से व्यथित हैं, जिसमें 10 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश जारी किया गया है। साथ ही अन्य बकाया राशि भी शामिल है। यह नोटिस राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के दिनांक 04.03.2025 के आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है, जो मूल आवेदन संख्या 492/2022 में अंतरिम उपाय के रूप में पारित किया गया था। यह आवेदन ग्रीन वुड सिटी विला जन कल्याण सोसायटी और ग्रीन वुड सिटी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा गॉडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मेरठ, जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी है, के खिलाफ पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के लिए दायर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कार्रवाई योग्य दावा बनता है।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री खन्ना ने यह तर्क दिया है कि चूंकि न्यायाधिकरण द्वारा जारी निर्देश कंपनी के विरुद्ध था, इसलिए निदेशकों को व्यक्तिगत रूप से न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार अंतरिम मुआवजे के बकाया के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था। अतः, तहसीलदार द्वारा जारी वसूली नोटिस के माध्यम से कलेक्टर द्वारा की जा रही वसूली स्वतः ही गलत है। श्री खन्ना ने न्यायालय का ध्यान न्यायाधिकरण के आदेश की ओर आकर्षित करते हुए यह प्रदर्शित किया है कि न्यायाधिकरण के समक्ष दायर याचिका में कोई भी याचिकाकर्ता पक्षकार नहीं था, क्योंकि अंतरिम आदेश के निष्पादन के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष शुरू की गई निष्पादन कार्यवाही में याचिकाकर्ताओं को पक्षकार नहीं बनाया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया था। कंपनी के प्रति व्यक्तिगत निदेशकों की देनदारी के संबंध में कानूनी दलील देते हुए, श्री खन्ना ने प्रस्तुत किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी के बकाया के लिए किसी भी व्यक्तिगत निदेशक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इस संबंध में उन्होंने इस न्यायालय के दो निर्णयों का हवाला दिया है, जिनमें **मीकिन ट्रांसमिशन लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2008 एससीसी ऑनलाइन ऑल 161 और राकेश महाजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं। और अन्य, 2019 एससीसी ऑनलाइन ऑल 4766।** श्री खन्ना ने आगे तर्क दिया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर देयता और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत वाणिज्यिक कर देयता के मामलों को छोड़कर, किसी भी प्रकार की वसूली व्यक्तिगत निदेशक के विरुद्ध निर्देशित नहीं की जा सकती थी, क्योंकि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 में कंपनी के निदेशकों के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से वसूली लागू करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने न्यायालय का ध्यान राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 25(3) की ओर आकर्षित किया है, जिसमें उनके अनुसार 'जिम्मेदार व्यक्ति' शब्द का उल्लेख है और जिसे उक्त अधिनियम की धारा 2(जे) के अर्थ में केवल कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार, श्री खन्ना के अनुसार, वसूली का आदेश रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि, वह ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार वसूली की कार्यवाही का विरोध नहीं करता है, और यदि कंपनी की संपत्ति को कुर्क करने के लिए वसूली का आदेश जारी किया जाता है, तो उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि याचिकाकर्ता ट्रिब्यूनल के आदेश से असंतुष्ट नहीं हैं।

4. उपरोक्त तर्कों का जवाब देते हुए, श्री जे.एन. मौर्य, विद्वान अधिवक्ता, जो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से उपस्थित हुए, ने प्रस्तुत किया कि कंपनी स्वयं भंग हो चुकी है, इसलिए

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(7) के प्रावधानों के अनुसार दायित्व कंपनी के निदेशकों पर होगा। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि वसूली कार्यवाही प्रभावी ढंग से नहीं चलाई जा सकी और न्यायाधिकरण के आदेश को आगे चुनौती नहीं दी गई, इसलिए संपत्ति की पहचान होने के बाद वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उन्होंने वसूली प्रमाण पत्र को उचित ठहराया।

5. मेरठ नगर निगम की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम ने संपत्तियों का पता लगा लिया है और उन्हें वसूली हेतु प्रस्तुत कर दिया है, क्योंकि कंपनी को जारी की गई वसूली नोटिस बार-बार वापस आ रही थी।

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यदि याचिकाकर्ता कलेक्टर के अधीन तहसील प्राधिकरण द्वारा जारी वसूली नोटिस और समन से असंतुष्ट हैं, तो उन्हें संबंधित जिले के कलेक्टर के समक्ष अपनी आपत्ति उठानी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत सक्षम प्राधिकारी होंगे, क्योंकि वसूली समन उक्त संहिता के तहत जारी किया गया है।

7. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, हम पाते हैं कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई है, जो संभवतः कंपनी द्वारा 10 करोड़ रुपये के पर्यावरणीय मुआवजे को जमा करने के उद्देश्य से एक अंतरिम उपाय के रूप में पारित किया गया था। हम पाते हैं कि यह निर्देश स्वयं कंपनी को जारी किया गया था, जो कि पक्षकार थी। चूंकि पक्षों के बीच इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि कंपनी भंग हो चुकी है और अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए प्रश्न उठता है कि क्या व्यक्तिगत निदेशकों पर वसूली का दायित्व डाला जाना चाहिए, उस आदेश के अनुसार जो स्पष्ट रूप से केवल

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कंपनी के विरुद्ध पारित किया गया था, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब व्यक्तिगत निदेशक न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकार नहीं हैं, यहां तक कि निष्पादन कार्यवाही में भी नहीं।

8. यद्यपि प्रतिवादियों की ओर से यह तर्क उठाया जा रहा है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध वसूली का आदेश जारी नहीं किया गया है, परन्तु वे इस बात से इनकार नहीं करते कि न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता व्यक्तिगत निदेशकों के नाम पर वसूली का आदेश जारी किया गया है। अतः, यह स्पष्ट रूप से कलेक्टर, अर्थात् संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिनके निर्देश पर तहसीलदार ने वसूली प्रमाण पत्र जारी किया है, कि वे पहले यह निर्धारित करें कि क्या भंग की गई कंपनी के किसी व्यक्तिगत निदेशक/पूर्व निदेशक के विरुद्ध उसके बकाया के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता था।

9. अतः, इन परिस्थितियों में, हम पाते हैं कि विचारणीय सीमित प्रश्न यह है कि क्या तहसीलदार द्वारा जारी वसूली प्रमाणपत्र, न्यायाधिकरण के आदेश के तहत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु की जा रही वसूली के मामले में वैध है या नहीं। यह वसूली उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के प्रावधानों का सहारा लेते हुए भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जा रही है, इसलिए कलेक्टर यह निर्धारित करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि जारी वसूली प्रमाणपत्र वैध है या नहीं।

10. उपरोक्त मामले को देखते हुए, यदि याचिकाकर्ता, जो कंपनी के पूर्व निदेशक थे, तहसीलदार द्वारा जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्र और उसके परिणामस्वरूप जारी किए गए समन से असंतुष्ट हैं, तो वे संबंधित जिले के कलेक्टर के समक्ष वसूली प्रमाण पत्र की वैधता और औचित्य के संबंध में अपनी आपत्तियां उठा सकते हैं। तदनुसार, हम इस याचिका का निपटारा याचिकाकर्ताओं को यह निर्देश देते हुए करते हैं कि वे सर्वप्रथम कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ से संपर्क करें और

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उनके नाम पर जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्र के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। वे अपनी आपत्तियां आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर दर्ज कराएंगे और कलेक्टर/ जिला मजिस्ट्रेट, जिला मेरठ, याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रतिवादी संख्या 1 को भी सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद, छह सप्ताह की अवधि के भीतर उनका निपटारा करेंगे। 9 और 10. हम आगे यह भी प्रावधान करते हैं कि जब तक ऐसी आपत्तियों का गुण-दोष के आधार पर निपटारा नहीं हो जाता, तब तक याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध जारी किया गया दिनांक 06.03.2013 का वसूली प्रमाण पत्र और उसके परिणामस्वरूप दिनांक 09.03.2026 का वसूली नोटिस कलेक्टर के अंतिम निर्णय तक स्थगित रहेगा।

11. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, यह याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति विवेक सरन) (न्यायमूर्ति अजीत कुमार)

25 मार्च, 2026

इरफानउद्दीन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।